तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल.आर./494/2024/नागौर** **ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम बनाम ओमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री विकास पाराशर, अभिभाषक प्रार्थीगण। **निर्णय** **दिनांकः 08.02.2024** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी जिला नागौर दिनांक 11-12-2023 प्रकरण सं0 275/2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 11-12-2023 से वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम नॉन कम्पलाईन्स, अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया है। 2- योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। 3- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रकरण नॉन कम्पलाईन्स, अदम पैरवी व अदम हाजरी में गलत खारिज कर दिया। प्रकरण में बिना कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुये ही प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण जो कि अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जिसमें प्रभावित पक्षकार को पक्षकार बनाये जाने के आदेश बिना कोई कारण दिए पारित कर दिये, जो निगरानी के माध्यम से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-2023 को निरस्त करने का निवेदन किया। 4- हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल.आर./494/2024/नागौर</u>** **ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम बनाम ओमाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी ने दिनांक 11–12–2023 में वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम नॉन कम्पलाईन्स, अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया है। 6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी ने विद्धान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया जो कि दिनांक 11–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट के अनुसार वकील प्रार्थी को निर्देशित किया गया कि प्रभावित काश्तकार को पक्षकार बनाया जाकर संशोधित शीर्षक मय तलबी पेश करने पर तलबी जारी होने के आदेश किये गये। 7– दिनांक 11–12–2023 की फर्द अहकाम में अंकित है कि वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम का नॉन कम्प्लायन्स व अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज करने के आदेश किये। विद्वान न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबड़ी को या तो प्रकरण नॉन कम्प्लायन्स में ही खारिज करना चाहिए था या अदम हाजरी या अदम पैरवी में, जिससे स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलक्टर, रियांबड़ी का निर्णय विधिसम्मत नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। 8– अतः न्यायहित में प्रार्थी की निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही रू0 500/– कोस्ट पर स्वीकार करते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी के आदेश दिनांक 11–12–2023 को निरस्त किया जाता है। विद्वान सहायक कलक्टर, रियांबड़ी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर नियमानुसार सुनवाई की जावें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के आदेश की पालना अधिकतम एक माह में करें। 9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	